न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 34/2018 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

शक्तिसिंह उर्फ सगतसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी फूलमाल, तहसील जैतारण जिला पाली

1. सेसाराम पुत्र जगाराम जाति राईका निवासी फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली
2. ग्राम पंचायत फूलमाल जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंवारिया उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 30/8/19

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव नं. 1 दिनांक 09.02.1980 जो ग्राम पंचायत फूलमाल ने तथाकथित मिसल संख्या 01/1979-80 में पारित किया तथा उसकी पालना में पट्टा संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 जारी किया, उसे निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी सगतसिंह ग्राम फूलमाल का भूतपूर्व जागीरदार एवं मूल निवासी है। प्रार्थी सगतसिंह की ग्राम फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल में खसरा नम्बर 217 मूल रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ स्थित थी। उक्त मूल रकबा में से वर्तमान खसरा नम्बर 217 रकबा 42 बीघा किस्म चाही चतुर्थ एवं खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु. आबादी सहित अन्य खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की स्थित है। शेष रकबा 14 बीघा के नए खसरा नम्बर 217/1 कायम होकर परिवार के नाम खातेदारी दर्ज है। हस्तगत निगरानी में खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी को आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी शक्तिसिंह उर्फ सगतसिंह के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/1969 बअनवान सरकार बनाम सगतसिंह के

जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय दिनांक 09.04.1971 द्वारा प्रार्थी को विधी एवं नियमानुसार ऑपशन पेश करने का मौका दिए वगैर उसकी भूमि का अधिग्रहण कर आवंटन नियमों के तहत अलग-अलग आवंटियों को आवंटन कर दी। लेकिन खसरा नम्बर 217 मीन वर्तमान खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि की किस्म चाही चतुर्थ से गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दी। इस बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है।

श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण के आदेश दिनांक 09.04.1971 के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील संख्या 115/1971 माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर (कैम्प) जोधपुर के समक्ष पेश की, जिन्होंने जरिए आदेश दिनांक 27.11.1971 प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण के आदेश दिनांक 09.04.1971 को खारिज करते हुए, प्रकरण विधी सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर (कैम्प) जोधपुर के निर्णय दिनांक 27.11.1971 के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 240/72 पेश की जिसके निर्णय दिनांक 16.02.1976 के द्वारा निगरानी खारिज करते हुए, सगतसिंह को अपनी मर्जी की 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी माना गया। राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उपरोक्त दोनों आदेशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26.03.1980 के द्वारा प्रार्थी को बारानी द्वितीय के समकक्ष कुल 260 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी होना मानकर शेष भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश पारित करते हुए, प्रार्थी सगतसिंह से विकल्प मांगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा सिलिंग पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत विकल्प दिनांक 03.01.1977 पेश कर दिया बताया, जिस पर तहसीलदार जैतारण से विकल्प में वर्णित भूमि पर कब्जे बाबत रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार जैतारण द्वारा रिपोर्ट पेश करने के पश्चात रकबे में अन्तर के कारण मांगने पर जरिये अधिवक्ता सगतसिंह द्वारा पुनः संशोधित विकल्प पेश किया गया। संशोधित विकल्प में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 423, 421, 422, 413 एवं 364 की भूमि सगतसिंह के कब्जे में होने से उसको कब्जा दिराने का प्रश्न नहीं होना निर्णित करते हुए शेष खसरा नम्बर 217, 218, 219, 226, 401 एवं 103 की भूमि श्रीमान जिलाधीश, पाली के पत्रांक 294 दिनांक 08.01.1979 में रेफरेन्स 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 में प्रसंग से आदेश होने से कि सिलिंग से प्रभावित व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की गई और अपील का निर्णय उसके पक्ष में हो गया। फलस्वरूप जिस आदेश द्वारा भूमि आवाप्त की गई। वह आदेश प्रभावशील नहीं रहा, ऐसी स्थिति में इस आदेश के अनुसरण में सिलिंग भूमि का आवंटन किया

जिला कलेक्टर, पाली

गया, वह भी स्वतः निरस्त हो जायेगा। अतः उपरोक्त मामले में किए गए आवंटन को स्वतः निरस्त माना जाने के आधार पर आवंटियों से भूमि का कब्जा नियमानुसार 15 अप्रेल से 30 जून के बीच लिया जाकर शक्तिसिंह उर्फ सगतसिंह को सुपुर्द करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश दिनांक 26.03.1980 की पालना में डूंडी पिटवाकर इतला कर आवंटियों से भूमि का कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी शक्तिसिंह को कब्जा सुपुर्द किया गया। कब्जा सुपुर्दगी फर्द की प्रति पत्रावली संलग्न है। जिसमें खसरा नम्बर 217 रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा चाही चतुर्थ भी सम्मिलित है।

उक्त आदेश दिनांक 26.03.1980 के विरूद्ध आवंटियों ने धारा 229 सपठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किए, जिसके संबंध में बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 17.10.1981 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश को रिव्यू कर वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वापस आवंटीगण को सौपनें का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी सगतसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपीलें पेश की जिन सभी अपीलों को समेकित करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03. 1982 के द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.1981 को निरस्त किया तथा पूर्व आदेश दिनांक 26.03.1980 को यथावत रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.1982 के विरूद्ध भी आवंटियों ने राजस्व मण्डल अजमेर में रीवीजन पेश की जहां दिनांक 03.11.1987 को रीवीजन अस्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी जैतारण के निर्णय दिनांक 26.03. 1980 को बहाल रखने की पुष्टी की गई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.1980 की पालना में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम फूलमाल के खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिए नामान्तरकरण संख्या 456 के पुनः प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। जिसका प्रार्थी बहैसियत खातेदार के कब्जा कायम है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में विभिन्न न्यायालय में उपरोक्तानुसार कार्यवाही लम्बित रहते हुए विधी एवं नियम विरूद्ध पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 01/1979–80 में प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 के तहत निलामी में वादग्रस्त पट्टा अवैधानिक रूप से नियमों को ताक पर रखकर जारी किया, जो निरस्त योग्य है।

जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे प्रार्थी सगतसिंह की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 217/2 में बिना मिसल कायम किए तथा ग्राम पंचायत की नजूल आबादी भूमि नहीं होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने के बावजूद पट्टे जारी कर दिए, जो निरस्त योग्य है। मिसल कायम नहीं करने बाबत ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक/ग्रा.प./104 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा प्रार्थी स्वयं को अवगत कराया गया है कि मिसले ढूंढने पर नहीं मिली। जैर निगरानी पट्टा उपखण्ड अधिकारी जैतारण, राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णयों के विपरित होने से भी खारिज योग्य है। प्रार्थी की उक्त भूमि में पट्टा प्राप्त करने हेतु पट्टाधारी द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बावजूद पट्टे जारी किए गए, जो निरस्त योग्य है। आवेदन पेश करने के साथ ही स्थल निरीक्षण हेतु 2/– रूपये की राशि जमा नहीं कराई, इस कारण से भी पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पेश नहीं हुए, पत्रावली कायम किए बिना, सचिव अथवा तीन वार्डपंचों द्वारा स्थल निरीक्षण किए बिना, आपत्ति इश्तिहार जारी किए बिना पट्टे जारी करने की आड़ में प्रार्थी को उसकी मालिकाना कब्जा सुद भूमि से नाजायज रूप से बेदखल करने की गरज से जारी किए गए है। जिन्हें निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा आवंटियों से खसरा नम्बर 217 का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, न ही उक्त खसरे का कब्जा आवंटियों से प्राप्त कर सगतसिंह को सौंपे जाने बाबत रिपोर्ट की प्रति नहीं पेश की है। जमाबंदी संवत 2065–68, 2068–72 एवं 2073–2076 में खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। इसलिए पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश दिनांक 23.05.1971 से उक्त भूमि जरिए नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 25.05.1971 के गैर मुमकिन आबादी दर्ज हुई, जो आदिनांक कायम है तथा आदिनांक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गैर मुमकिन आबादी में ग्राम पंचायत फूलमाल द्वारा जारी पट्टे विधी सम्मत होने से यथावत रखे जावें तथा निगरानी खारिज की जावे। प्रार्थी सगतसिंह का मौके पर कब्जा नहीं है तथा निगरानी 39 वर्ष देरीना पेश करने से भी निगरानी खारिज योग्य है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी 09.02.1980 से आज तक मौके पर आवास व पशुधन के बाड़े बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा फोटोग्राफ भी बताये गये। प्रार्थी का कब्जा कहीं नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम की बैठक कर खुले तौर पर कार्यवाही कर पट्टे जारी किए गए है। इस प्रकार

जिला कलेक्टर पाली

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित रेकर्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 03.03.1982 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 03.11.1987 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्ततः प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.1980 को यथावत रखा गया। जिसके अनुसार प्रार्थी को बारानी द्वितीय के समकक्ष कुल 260 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी होना मानकर शेष भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश पारित करते हुए प्रार्थी सगतसिंह से विकल्प मांगा गया तथा पूर्व विकल्प में वर्णित भूमि पर कब्जे बाबत रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश करने के पश्चात दिनांक 26.03. 1980 को पुनः संशोधित विकल्प पेश किया, जिसमें खसरा नम्बर 217 रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा भूमि सम्मिलित है। जिसका कब्जा आवंटियों से प्राप्त करने हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी जोधुपर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों की पालना में उपखण्ड अधिकारी जैतारण के सिलिंग प्रकरण संख्या 13/69 दिनांक 26. 03.1980 को यथावत रखे जाने के पश्चात जिला कलक्टर पाली के पत्रांक 291 दिनांक 08.01.1979 के अनुसरण में आवंटियों से कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार जैतारण को आदेशित किया गया। तहसीलदार जैतारण की मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18.04.1980 को कब्जा प्राप्त कर सगतसिंह को सौंप दिया, जिससे खसरा नम्बर 217 रकबा 59 बीघा 18 बिस्वा भी शामिल है। प्रार्थी बतौर खातेदार जरिये नामान्तरकरण संख्या 459 वर्ष 1982 दर्ज व काबिज हुआ, जो छायाप्रति जमाबन्दी संवत 2033–2038 ग्राम फूलमाल पटवार क्षेत्र फूलमाल तहसील जैतारण पत्रावली सलंग्न से स्पष्ट है। इसी भूमि में खसरा नम्बर 217/2 की भूमि भी शामिल है। इस दरम्यान अगर यह भूमि आबादी दर्ज की गई तो वह आदेश Null & Void है, जबकि वांछित आदेश पत्रावली में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। अगर जारी भी किया तो विभिन्न न्यायालयों द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश 26. 03.1980 के यथावत रखे जाने के साथ ही भूमि सिलिंग प्रभावित होने से इस भूमि बाबत आदेश भी निरस्त हो जाने से भूमि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार प्रार्थी को कब्जा दिए जाने के बाद से खातेदारी हो चूकी है तथा पंचायत की नजूल आबादी भूमि नहीं रही एवं जब पंचायत की नजूल आबादी भूमि ही नहीं रही, तो उक्त खसरा नम्बर में पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत फूलमाल द्वारा खसरा नम्बर 217/2 रकबा 3 बीघा

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

18 बिस्वा में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 मिसल संख्या 01/1979—80 एवं संकल्प संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फूलमाल की मिसल संख्या 01/1979—80, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 09.02.1980 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत फूलमाल को निर्णय की प्रति के साथ रेकर्ड भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)